



2026:AHC:51863-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4711/2026

इल्हाम उर रहमान शम्शी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: जितेन्द्र सिंह, विकेश कुमार तिवारी

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया, तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. सुनवाई के आरंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन प्रस्तुत किया है कि वह वर्तमान रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं तथा वह इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. यह प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त वाद काफी लम्बे समय से विचाराधीन है; तथापि, इसके त्वरित निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस रिट याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर निरस्त निरस्त किया जाता है।

12 मार्च, 2026

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)